

प्रेषक,  
महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
सेवा में,  
समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020-21 / 8729 लखनऊ / दिनांक—20-01-2021  
विषय—राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 में संशोधित ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणी/सुझाव/अभिमत प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय/महोदया,


जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त विषयक अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या—पी0 16011/04/2020—टी0सी0(पार्ट), दिनांक 05 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 अधिनियम में संशोधित ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत करते हुए जनमानस से उसमें टिप्पणी/सुझाव/अभिमत प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 अधिनियम का संशोधित ड्राफ्ट बिल आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप उक्त में यदि कोई टिप्पणी/सुझाव/अभिमत चाहते हैं तो सम्बन्धित टिप्पणी/सुझाव/अभिमत, ई-मेल—cotpaamendment@gmail.com एवं nodal.ntcp.up@gmail.com पर दिनांक 31 जनवरी, 2021 को सायं 5.00 बजे तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय

  
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020-21 / तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीन जनपदों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित ड्राफ्ट बिल में अपनी टिप्पणी/सुझाव/अभिमत उल्लिखित ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीन जनपदों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित ड्राफ्ट बिल में अपनी टिप्पणी/सुझाव/अभिमत उल्लिखित ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीन जनपदों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित ड्राफ्ट बिल में अपनी टिप्पणी/सुझाव/अभिमत उल्लिखित ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
7. उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/

लखनऊ/दिनांक-20-01-2021

विषय-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 में संशोधित ड्राफ्ट बिल पर टिप्पणी/सुझाव/अभिमत प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 अधिनियम का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त विषयक अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-पी0 16011/04/2020-टी0सी0(पार्ट), दिनांक 05 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 अधिनियम में संशोधित ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत करते हुए जनमानस से उसमें टिप्पणी/सुझाव/अभिमत प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 अधिनियम का संशोधित ड्राफ्ट बिल आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप उक्त में यदि कोई टिप्पणी/सुझाव/अभिमत चाहते हैं तो सम्बन्धित टिप्पणी/सुझाव/अभिमत, ई-मेल-cotpaamendment@gmail.com एवं nodal.ntcp.up@gmail.com पर दिनांक 31 जनवरी, 2021 को सायं 5.00 बजे तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/8730-36

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीन जनपदों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित ड्राफ्ट बिल में अपनी टिप्पणी/सुझाव/अभिमत उल्लिखित ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीन जनपदों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित ड्राफ्ट बिल में अपनी टिप्पणी/सुझाव/अभिमत उल्लिखित ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने अधीन जनपदों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित ड्राफ्ट बिल में अपनी टिप्पणी/सुझाव/अभिमत उल्लिखित ई-मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
7. उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)